ढांचा करारनामा
दिनांक : एप्रिल 15, 2004

एस सी ए और आयसीईएम/पॅपर्स/एस सी ए ई डब्लू सी के बीच करारनामा

भूमिका

इस करारनामे का उद्देश्य एससीए के विश्वव्यापक गतिविधियों के भीतर सहयोग और सामाजिक जवाबदारियों को बढ़ावा देना है। सहयोग अब भी आपसी आदर, विश्वास और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध इमानदारी की सूचनाओं पर बनता है और कामगारों और उनके प्रतिनिधियों के लिये एस.सी.ए के प्रबंधन के साथ संपर्क द्वारा,[1] निर्णयों को लागू करने की संभावना की पुष्टि करता है। सामाजिक जवाबदारियों को बढ़ावा देने में मानवीय और टड यूनियन अधिकार के विषय महत्वपूर्ण सिद्धांत, तथा कार्य स्थल में स्वास्थ और सुरक्षा का विकास और पर्यावरण की सुरक्षा शामिल हैं।

इस करारनामें में वे सारी गतिविधियां सम्मिलित हैं जिन पर एनसीए का सीधा नियंत्रण है। जहाँ एससीए का सीधा नियंत्रण नहीं होता, वह इस करारनामे के पैमानों के अनुरूप होने के लिये अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा। एस सी ए अपने उप–ठेकेदारों और लायसेंस प्राप्त लोगों को इस करारनामें के विषय बताएगी और उन्हें मापदंडो/पैमानों के अनुरूप होने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

इस करारनामें में सम्मिलित पक्ष स्वीडिश पेपरवर्क्स यूनियन (स्वेन्सका पॅपर इंडस्ट्रिआरबेटर फॉबंडेट – पॅपर्स), द इंटरनैशनल फेडरेशन ऑफ केमिकल, एनजी, माइन एण्ड जनरल वर्कर्स यूनियन (आयसीईएम) ओर एस सी ए इ डब्लू सी हैं।

जैसा कि आचारसंहिता में बताया गया है पक्षों के द्वारा बुनियादी मानवीय अधिकार और एससीए के अपने मूल्यों की सामान्य स्वीकृत सिद्धांतो का व्यवहारिक लागूकरण को क्रियान्वित करना है। यह करारनामा पक्षों को कार्यप्रणालियों के विषय चर्चा करने या यदि वे आर्थिक और सामाजिक उन्नति हेतु कोई सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं तो इन बातों के लिये आधार भी प्रदान करता है।

सिद्धांत

पक्ष इस बात को सहमत हैं कि सिद्धांतो के पालन करते समय, वे आयएलओ के बुनियादी सिद्धांतो और कार्यक्षेत्र में अधिकार (मुख्य अनुबंध) और एस सी ए आचारसंहिता द्वारा प्राप्त होते हैं, वे सिद्धांत एस सी ए की गतिविधियों और उसके कामगारों के साथ संबंध में मार्गदर्शन करेंगे। एससीए यह मांग करती है कि उसके सभी कामगार चाहे वे किसी भी प्रकार का कार्य करते हों, स्तर के हों या रूतबें के हों – वे सब उनके कर्तव्यों और जवाबदारियों के आचरण में निम्नलिखित व्यावसायिक मापदंडो और व्यक्तिगत सिद्धांतो का पालन करें।

---

[1] दृष्टिकोन आदानप्रदान करना तथा वार्तालाप प्रस्थापीत करना

1) एस सी ए सभी आवश्यक कानूनी और नियमितीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

2) एस सी ए कार्यस्थल में स्वास्थ और सुरक्षा के नियमित विकास और पर्यावरण के लिये आवश्यक कदम उठाने के लिये निरंतर क्रियाशील रहेगी। एस सी ए का लक्ष्य उसके कामगारों को सुरक्षित कार्य माहौल प्रदान करना है। सभी एस सी ए की इकाईयाँ, राष्ट्रीय कानूनों और कार्यस्थल की सुरक्षा से संबंधित सामुहिक करारनामों का सख्ती से पालन करेंगे। इस करारनामें के पक्ष एस सी ए के कंपनी के समूह में ''सर्वोत्तम व्यवहार'' द्वारा उच्च मापदंडों का पालन करने का प्रयास करेंगे।

3) एस सी ए, भेदभाव न करनेवाली सांस्कृतिक कंपनी होने के लिये प्रयत्नशील रहती है जो जवाबदारी, कौशल्य और आदर पर आधारित है जो उसके विश्वस्तरीय कामगारों के गुणो और समर्पण के द्वारा बनता है। सभी वर्तमान या सक्षम कामगारों के साथ न्यायोचित और बिना भेदभाव किये व्यवहार करना यह एस सी ए की नीति है। एस सी ए, उन अनुचित या भेदभाव पूर्ण व्यवहारों को समाप्त करने के लिये तत्पर रहती है जो कभी उठ खडे होते हैं। सभी कामगारों को एससीए में उन्नति करने का मौका दिया जाएगा चाहे वे किसी भी लिंग, वैवाहिक या पालक स्तर, जाति, धार्मिक समुदाय, राष्ट्रीय मूल, धार्मिक विश्वास, राजनैतिक गुट के या अपंग हों।

4) एस सी ए कामगारों को उनकी नौकरी में और अधिक परिपक्व करने और जबाबदारो बढ़ाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण देने का प्रयास करती हैं।

5) एस सी ए जहाँ भी कार्य करती है वहाँ अपने कामगारों को उचित वेतन देने और बाजार के विद्यमान पैमान के अनुसार लाभ उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है।

6) एस सी ए कार्यस्थल में अपने कामगारों और प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करते समय अच्छे विश्वास और आपसी सम्मान का प्रदर्शन करेगी। एस सी ए हर कामगार के बुनियादी अधिकार को, कि उसका किसी मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिये या नहीं, स्वीकार करती है। एस सी ए ट्रेड यूनियन के बुनियादी अधिकारो का जिसमें सहभागिता की स्वतंत्रता, संगठन के अधिकार और सामुहिक मोलभाव में सहभागिता के अधिकार को स्वीकार करती और आदर करती है।

एस सी ए की ट्रेड यूनियनों के साथ सकारात्मक अनुभव और संबंधों की लंबी परंपरा रही है और यह ट्रेड यूनियनों और उनके प्रतिनिधियों के साथ सहयोग तथा अच्छे संबंध स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील रहती है। एस सी ए यह सुनिश्चित करेगी कि ट्रेड यूनियनों के सदस्य और आधिकाधिक प्रतिनिधियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो और उन्हें एस सी ए के औद्योगिक संबंधों के नीति स अवगत कराया जाता रहे।

7) एससीए बुनियादी मानवीय अधिकारों का सम्मान करती है और उसके इस कार्य में युनाइटेड नेशन्सयुनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ हयुमन राइट्स के प्रावधानों के अंतर्गत उसका मार्गदर्शन किया जाएगा।

8) एस सी ए अपने प्रभाव के दायरे के भीतर मानवीय अधिकारों की सुरक्षा का समर्थन और आदर करती है, विशेषकर दबावपूर्ण श्रमिकों और बालश्रमिकों का प्रभावशाली छुटकारा, और वह इसे उसके सप्लायरों और उप–ठेकेदारों के साथ उसके संबंधों के प्रबंधन और चुनाव में इसे नियम बनाएगी।

लागूकरण

एस सी ए अपने व्यवसायिक समूहों को उसके अस्तित्व और इस करारनामें का बातों के विषय सूचित करेगी। एस सी ए सभी स्थानीय कार्यक्षेत्र प्रबंधनों की, इस करारनामा के अनुसार उनके कर्तव्यों से अवगत कराएगी। एस सी ए यह सुनिश्चित करेगी कि करारनामें का उचित अनुवाद कार्यस्थलों में उपलब्ध किया जाए। आयसीईएम इस करारनामें के प्रतिलिपीयाँ अपने सभी सहकारियों को वितरीत करेगी जो विश्वभर में एससीए के कामगारों को संगठित करती है और इस करारनामें की विस्तृत घोषणा करेगी और उसकी निहित उलझनों के विषय एससीए में निहित सहकारियों को समझाएगी। करारनामा के पक्ष भी मिलकर करारनामा और उसकी उलझनों को मिलकर समझाने में सहयोग करेंगे।

शिकायतें/शिकायत की प्रणाली

करारनामा के उल्लंघन की स्थिति में, सम्मिलित कामगार द्वारा दावे का आवेदन सामान्यतः निम्नलिखित प्रणाली द्वारा किया जाएगा।

1) कामगार या उस पुरूष/स्त्रो की स्थानीय ट्रेड यूनियन को चाहिये कि वह स्थानीय साइट मॅनेटमेंट के पाल शिकायत दर्ज करे।

2) यदि शिकायत को स्थापनीय साइट मॅनेजमेंट द्वारा हल नहीं किया जाता है तो, उचित राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन, मानवीय संसाधन विभाग के पास व्यवसायिक समूह या प्रांतीय स्तर पर मुद्द को उठाएगा।

3) यदि तब भी समस्या हल न हो, तो शिकायत को आयसीईएम/पॅपर्स को सौंपा जाएगा जो मुद्दे को एस सी ए कॉरपोरेट मॅनेजमेंट के पास उठाएगी।

वार्षिक समीक्षा

एससीए और पॅपर्स/आयसीईएम इस करारनामें की व्यवहारिकता और इस पर अमल के विषय समीक्षा करने हेतु वर्ष में एक बार इकट्ठे होंगे। इसका उद्देश्य इस करारनामें में सम्मिलित किए गए मुद्दों पर चर्चा करना है जिसका उद्देश्य बेहतर कार्य प्रणालियों के विकास में मिली जुली सहमति जताना है। वार्षिक सभाओं में सामान्यतः एस सी ए के मॅनेजर और आयसीईएम/पॅपर्स द्वारा नियुक्त अधिकारी सदस्य होंगे। एस सी ए के यूरोपीयन वर्क्स का काउंसिल/इडब्लूसी के प्रतिनिधियों को भी सभाओं में सम्मिलित होने का अधिकार होगा। विशेष परिस्थितियों में (बड़े पुनःनिर्माण कार्य आदि) प्रभावित इकाइयों/देशों के कामगारों के प्रतिनिधियों को भी ऐसी सभाओं में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया जा सकता है।

कालावधि और नवीनीकरण

यह करारनामा 2 वर्षों के लिये वैध है, जिसके पश्चात इसे बढ़ाया या नवीनकृत किया जा सकता है।

बर्खास्तगी

इस करारनामें को किसी भी पक्ष द्वारा 6 माह की सूचना के साथ बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसी सूचना लिखित रूप में दी जानी चाहिए।